

## उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007, दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229 क्षेत्रीय कार्यालयः एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201308, दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

 $Website: \underline{www.up-rera.in}, \textbf{E-mail}: \underline{contactuprera@up-rera.in}, \textbf{Twitter}: \underline{https://x.com/UPRERAOfficial?t=4uwoQBDIV3UWtl-tGBhPVA\&s=08} \\ \textbf{Facebook}: \underline{https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL}, \textbf{Youtube}: \underline{https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao} \\ \textbf{$ 

प्रेस नोट- फरवरी 29, 2024

## परियोजनाओं से संबंधित अभिलेख रेरा मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें- उ.प्र. रेरा

- विलम्ब से बचने के लिए एनसीआर के प्रोमोटर अपनी परियोजनाओं के पंजीकरण, पंजीकरण विस्तार,
  एडिटिंग तथा अन्य मामलों से जुड़े डॉक्युमेंट्स व्यक्तिगत या डाक के माध्यम से उ.प्र. रेरा मुख्यालय,
  लखनऊ में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- एनसीआर के आवंटियों की शिकायत संबंधी डॉक्युमेंट्स क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा और शेष जनपदों से संबंधित डॉक्युमेंट्स मुख्यालय, लखनऊ में प्रेषित करें।
- एजेंद्व भी अपनी पंजीकरण और विस्तार के आवेदन लखनऊ मुख्यालय में प्रेषित करें।

लखनऊ/ गौतमबुद्ध नगर: उ.प्र. रेरा ने परियोजनाओं के पंजीकरण, पंजीकरण विस्तार, एडिटिंग तथा एजेंद्व के पंजीकरण सिहत अन्य प्रकार के आवेदन के सम्बन्ध में हितधारकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया है। इसके अनुसार एनसीआर के प्रोमोटर्स अपनी परियोजनाओं के पंजीकरण, पंजीकरण विस्तार, एडिटिंग तथा अन्य मामलों में व्यक्तिगत या डाक से प्रेषित किए जाने वाले डॉक्युमेंट्स उ.प्र. रेरा मुख्यालय, लखनऊ में उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार रियल एस्टेट एजेंट के पंजीकरण तथा विस्तार हेतु आने वाले आवेदन भी व्यक्तिगत या डाक से सीधा उ.प्र. रेरा मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित करने को कहा गया है। इस प्रकार प्रोमोटर तथा एजेंट द्वारा व्यक्तिगत या डाक से प्रेषित किए वाले पत्र अब लखनऊ मुख्यालय के पते पर प्रेषित किए जाएंगे।

हितधारकों को यह जानना आवश्यक है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण, पंजीकरण विस्तार, एडिटिंग तथा एजेंद्व के पंजीकरण एवं विस्तार से संबंधित अन्य प्रकार के कार्यों का निष्पादन उ.प्र. रेरा मुख्यालय से ही सम्पन्न होता है। कई प्रकरणों में यह पाया गया है कि व्यक्तिगत या डाक से मुख्यालय के संबंधित डॉक्युमेंद्व क्षेत्रीय कार्यालय में पहुच दिये जाते है और वहाँ से मुख्यालय तक आने में विलम्ब हो जाता है। ऐसे में इस प्रकार के अभिलेख तथा आवेदन मुख्यालय प्राप्त होने से विभाग के अनुसार ससमय निर्णय लेकर कार्य निष्पादित किया जा सकेगा।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आवंटियों से संबंधित शिकायतों के लिए पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही कार्य जारी रहेगा जिसमें एनसीआर स्थित परियोजनाओं के आवंटियों की शिकायतों से संबंधी डॉक्युमेंद्व क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में और शेष जनपदों में स्थित परियोजनाओं के आवंटियों की शिकायतों से संबंधित डॉक्युमेंद्व मुख्यालय, लखनऊ में प्रेषित किए जाएंगे।

**उ.प्र. रेरा अध्यक्ष श्री संजय भूसरेड्डी** ने कहा कि विभागीय स्तर पर आवेदनों का निस्तारण करने के लिए अभिलेखों का सही कार्यालय पर समय से पहुचना अतिआवश्यक है। इसी कारण यह कार्यालय आदेश जारी किया गया है जिससे हितधारकों के प्रकरण को समयबद तरीके से निष्पादित किया जा सके।

रियल एस्टेट सेक्टर के हितधारकों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उन्हें सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, मुज्जफरनगर तथा हापुड़ सहित 8 जनपदों को एनसीआर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित किया गया है। जबिक प्रदेश के शेष जनपदों को मुख्यालय से संबंधित किया गया है।



## **U.P. Real Estate Regulatory Authority**

Head Office: Rajya Niyojan Sansthan, Navin Bhawan, Kalakankar House, Old Hyderabad, Lucknow- 226007, Tel: +91 9151602229, +91 9151642229 Regional Office: H-169, Gamma-II, Gr. Noida, Gautambuddh Nagar- 201308 Tel: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

Website: <a href="www.up-rera.in">www.up-rera.in</a>, E-mail: <a href="contactuprera@up-rera.in">contactuprera@up-rera.in</a>, Twitter: <a href="https://x.com/UPRERAOfficial?t=4uwoQBDlV3UWtl-tGBhPVA&s=08">https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL</a>, Youtube: <a href="https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao">https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao</a>

Press Note-February 29, 2024

## Documents related to projects should be delivered at H.Q- U.P. RERA

- To avoid delay, promoters of NCR must ensure to deliver the documents related to project registration, extension, editing and others at U.P. RERA head office via personally or post.
- Documents related to complaints of allottees belong to NCR regions should be delivered at Gr. Noida and other districts should be delivered at head office of U.P. RERA.
- Agents must send their applications of registration and extension to head office.

Lucknow/ Gautambuddh Nagar: Considering the interest of the stakeholders, U.P. RERA has issued an office order about documents related to project registration, extension, editing, agent registration and other relevant matters. According to this office order, promoters have been directed to deliver the documents related to project registration, extension, editing, etc., either personally or post, at U.P. RERA Head Office, Lucknow. Similarly, agents have been directed to send their applications of registration and extension to head office via personally or post.

It is important for all stakeholders to know that application of registration, extension, editing of real estate projects and applications of registration and extension of agents are being executed by head office of U.P. RERA at Lucknow. In various matters it has been noted that documents related to Head Office get delayed due to being delivered at Regional Office via personally or post. Hence, if applications and documents are being delivered directly at head office then requests can be processed and disposed in a time bound manner.

Here it is important to mention that there is no change in the system created for the documents related to complaints of allottees and it will work as per prior arrangement. Documents related to complainants of NCR regions will be delivered at R.O, Gr. Noida and rest of the districts will be delivered at H.O, Lucknow.

**U.P. RERA Chairman Sh. Sanjay Bhoosreddy** mentioned that for timely disposal of the application from concerned departments, the documents should be delivered in due course of time. This office order has been issued in the same concern to ensure resolution of matters in time bound manner.

To ensure services to the stakeholders of the real estate sector according to the regional conditions, 8 districts of Uttar Pradesh; Gautambuddh Nagar, Ghaziabad, Meerut, Shamli, Bagpat, Bulandshahar, Muzzafarnagar and Hapur has been connected with R.O, Gr Noida located in NCR. Rest of the districts of the state has been connected with H.O at Lucknow.